उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-7/2015/92/26-1-2015-3(51)/2014

लखनऊ : दिनांक: 27 जनवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-954/स0क0/स्था-2/107/वै0पत्रा0/2014-15, दिनांक 05-12-2014 में किये गये अनुरोध के क्रम में श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, सहायक अध्यापक प्राथमिक, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज तालबेहट, ललितपुर, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शैक्षिक सत्र 2014-15 के मध्य सत्र में दिनांक 30-11-2014 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, को उनके कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक 21-01-1991 एवं शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक 19-01-1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत एवं रिट याचिका संख्या-64074/2014 ओम प्रकाश त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-11-2014 के अनुपालन में श्री राज्यपाल महोदय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, सहायक अध्यापक प्राथमिक, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज तालबेहट, ललितपुर को शिक्षा सत्र 2014-15 में दिनांक 30-06-2015 तक का सत्र लाभ दिये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि श्री त्रिपाठी द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि 30-11-2014 के पश्चात नियमित रूप से शिक्षण/अध्यापन का कार्य किया जा रहा है।

केदारनाथ
विशेष सचिव।

पृ0सं0-92(1)/26-1-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-954/स0क0/स्था-2/107/वै0पत्रा0/2014-15, दिनांक 05-12-2014 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि उपरिलिखित शर्त की पुष्टि के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3- कोषाधिकारी, ललितपुर।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
5- प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, तालबेट, ललितपुर।
6- श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, सहायक अध्यापक प्राथमिक, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज तालबेहट, ललितपुर ।
7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in